27
4

(19)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन
सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र

1496/14

RIGHT TO INFORMATION

आवेदक का नाम
विभूति नारायण दूबे
(आर.टी.आई. कार्यकर्ता)

निवास
ग्रा. संसारापुर, पो. चकसुन्दरपुर ज्ञानपुर
जनपद सन्त रविदास नगर, भदोही (उ.प्र.) - 221304
मो. 9450789856, 8009746719

पंजीकृत

पत्रांक : 293/F/2014 दिनांक : 03 मार्च 2014

URGENT, RTI ACT
Diary No. 16115
& Date 07/03/14
Last Date For Disposal 12/03/14

सेवा में,
श्रीमान केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी महोदय
मा० प्रधानमन्त्री कार्यालय
भारत सरकार, नई दिल्ली

1- आवेदक का नाम - विभूति नारायण दूबे IPON025F004624 of ₹10/-

2- पता - उपर्युक्त उल्लिखित पता

3- अपेक्षित सूचना का विवरण - (i) सूचना की विषय-वस्तु - सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक।

(ii) अवधि (जिससे सूचना सम्बन्धित है) - 45 दिन

(iii) अपेक्षित सूचना का विस्तृत विवरण - आवेदक आप श्रीमान जी से निम्नलिखित बिन्दुओं के सापेक्ष सूचना उपलब्ध कराये जाने का निवेदन करता है-

बिन्दु-1- सम्पूर्ण भारत में सन 1980 से अब तक कुल कितने किसानों द्वारा कृषि से जुड़े उत्पाद फसलों में घाटा आने से आर्थिक रूप से तंगी हालत व बकाया ऋण की अदायगी न होने के कारण भुखमरी के कगार पर पहुँचने की स्थिति न झेल पाने के कारण आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया गया है उनका नाम, पता, आत्महत्या दिनांक, सरकार द्वारा सम्बन्धित किसान के आश्रितों को दी गयी आर्थिक व अन्य सहायता के सम्पूर्ण विवरण की सूची उपलब्ध कराने की कृपा करें। A 2 C

बिन्दु-2 सम्पूर्ण भारत देश में सन 1990 से अब तक कुल कितने नागरिकों व पुलिस, सी. आर. पी. एफ., भारतीय सेना व अन्य जवानों की मृत्यु नक्सलियों के प्राणघातक हमले से हुयी है प्रत्येक के नाम, पता, मृत्यु दिनांक, सरकार द्वारा सम्बन्धित के आश्रितों MHA MOD

2921748

क्रमशः - पृष्ठ - 2 पर

को सरकार द्वारा दी गयी आर्थिक मदद व अन्य मदद तथा ऐसे नक्सली हमले के सुरक्षा की दृष्टिकोण से अब तक की हुयी व्यवस्था के विवरण की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें। MHA

बिन्दु 3. भारत सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित राज्यों को सुरक्षा व्यवस्था के मद में वर्ष 1990 से अब तक कुल कितनी धनराशि आवंटित की जा चुकी है? वर्षवार विवरण की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें। MHA

Security related Expenditure

बिन्दु-4. भारत देश से सटे अन्य देशों की सीमा पर तैनात भारतीय सेना के वीर जवानों में से सन् 1990 से अब तक विदेशी आतंकवादियों व अन्य किसी भी प्रकार के हमले से अब तक कितने भारतीय सेना के वीर जवान शहीद हो चुके हैं। प्रत्येक का नाम, पता, शहीद होने का दिनांक तथा उनके आश्रितों को भारत सरकार द्वारा दी गयी आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी, तथा अन्य मदद के सम्पूर्ण विवरण की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें। MoD

बिन्दु 5- मा० प्रधानमन्त्री जी भारत सरकार को "एक आर०टी०आई० कार्यकर्ता" के रूप में अपनी सुरक्षा व्यवस्था के सन्दर्भ में आवेदक द्वारा लिखा गया पत्र संख्या: 81/सुरक्षा/2013 दिनांक: 26-06-2013 के सापेक्ष मा० प्रधानमन्त्री जी द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है? कृत कार्यवाही विवरण की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें। DoH

बिन्दु 6- बिन्दु-5 में वर्णित पत्र के सन्दर्भ में आवेदक को आज दिनांक: तक सुरक्षा व्यवस्था किस विधिक कारण से मुहैया नहीं करायी जा सकी है, विवरण सहित अवगत करायें। अवगत होना चाहें कि आवेदक द्वारा "आर० टी० आई० कार्यकर्ता" के रूप में अनेक छोटे-बड़े मामलों में भ्रष्टाचार का खुलासा किये जाने से जीवन-भय अवश्यम्भावी हो गया है, जिससे जिम्मेदार लोगों द्वारा कभी भी पलटवार करके हमला किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

बिन्दु 7- बिन्दु-5 में वर्णित पत्र में उल्लिखित "श्री पृथ्वीराज चव्हाण, राज्यमन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय,

—— क्रमशः- पृष्ठ उपर

(2)

29
6

राज्यमन्त्री प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मन्त्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मन्त्रालय, तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या: D.O. No. F-1/15/2010-IR दिनांक: 25 अगस्त 2010 (प्रति संलग्न है) के अनुपालन में आर०टी०आई० की गतिविधि से जुड़े "आवेदक विभूति नारायण दुबे, आर०टी०आई० कार्यकर्ता" की सुरक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री व जिला मजिस्ट्रेट भदोही द्वारा आज दिनांक तक न किये जाने की स्थिति में "आवेदक के सुरक्षा व्यवस्था के सन्दर्भ में तथा भारत सरकार के उक्त आदेश का सम्बन्धित लोगों द्वारा अनुपालन न किये जाने की स्थिति में" मा० प्रधानमन्त्री भारत सरकार द्वारा आवश्यक उचित कार्यवाही करके कार्यवाही रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करें।

(iv) अपेक्षित सूचना डाक द्वारा उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(v) डाक की दशा - पंजीकृत/स्पीड पोस्ट डाक द्वारा

(4) क्या आवेदक गरीबी रेखा के नीचे का है - नहीं।

स्थान - संजारपुर

आवेदक का हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर)
03/03/14
(विभूति नारायण दुबे)

संलग्नक- 1. संदेय शुल्क रु० 10/- मूल्य का भारतीय पोस्टल ऑर्डर संख्या: 25F 004624

2. मा० पृथ्वीराज चव्हाण महोदय राज्यमन्त्री भारत सरकार का आर०टी०आई० कार्यकर्ताओं की सुरक्षा व्यवस्था के सन्दर्भ में पत्र सं. D.O. No. F. 1/15/2010 - IR दि० 25 अगस्त 2010 (छायाप्रति)

सं. I-11034/23/2014-एन.एम./एएनओ-I

भारत सरकार

गृह मन्त्रालय

नक्सल प्रबंधन विभाग

(नक्सल विरोधी अभियान स्कंध)

कमरा सं. 13-ए, नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली, दिनांक 28.03.2014

सेवा में,

श्री विभूति नारायण दूबे,
ग्राम - संसारपुर, पो0 - चकसुन्दरपुर ज्ञानपुर,
जनपद सन्त रविदास नगर, भदोही,
उत्तर प्रदेश - 221304।

विषय - सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन।

संदर्भ इस मंत्रालय का पत्र संख्या 18015-12/2014-एनएम.IV दिनांक 25.03.2014 है जिसके माध्यम से आपका दिनांक 03.03.2014 का उपरोक्त आवेदन इस स्कंध को दिनांक 26.03.2014 को श्री के0 एस0 कुशाला कुमार, उप सचिव (एन0एम0) एवं केन्द्रीय लोक-सूचना-अधिकारी, गृह मंत्रालय से प्राप्त हुआ है।

2. आपके आवेदन के बिन्दु 2 (1990 से 2014 तक नक्सल हिंसा में हताहत हुए लोग व शहीद हुए सुरक्षा बल) के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि 1990 से 2014 (15 मार्च तक) तक नक्सली हिंसा में 10766 आम नागरिक हताहत हुए हैं तथा 2939 सुरक्षा कर्मी शहीद हुए हैं। मारे गए लोगों व शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों के नाम व पता उपलब्ध नहीं है। इस सूचना के लिए आप संबंधित राज्य सरकारों से सम्पर्क कर सकते हैं। हताहत हुए नागरिकों के आश्रितों को मिलनेवाले मुआबजे से संबंधित सूचना के लिए आपका आवदेन, अवर सचिव (वीटीवी अनुभाग) & केन्द्रीय लोक-सूचना-अधिकारी, आई0एस0-II संभाग को अंतरित किया जा रहा है।

3. आवेदन के बिन्दु 3 के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि इस स्कंध द्वारा नक्सल प्रभावित राज्यों में थानों के निर्माण / सुदृढ़ीकरण की एक योजना क्रियान्वित की जा रही है जिसमें नक्सल प्रभावित 9 राज्यों में कुल 400 थानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। 2.00 करोड़ रुपए प्रति थाने की लागत से बनाये जा रहे इन थानों के लिए धन राशि 80:20 के अनुपात में केन्द्र सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अब तक निर्गत राशि का विवरण अनुलग्नक-I में संलग्न है।

..2/-

4. उक्त आवेदन से संबंधित पुनरावेदन (Appeal), यदि आवश्यक हो, तो इस आवेदन की प्राप्ति के 30 दिनों के अन्तर्गत श्री एम. ए. गणपति, संयुक्त सचिव (नक्सल विभाग), कमरा सं. 193-ए/1, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को किया जा सकता है।

दलजीत सिंह..

संलग्नकः यथाउपरि।

(दलजीत सिंह चौधरी)
निदेशक (न0वि0अ0) एवं कें0लो0सू0अ0
टेली.फैक्स: 2309 4019

प्रतिलिपि, आवेदन सहित-

श्री आशिश वी0 गवई, अबर सचिव, (वीटीवी अनुभाग) एवं केन्द्रीय लोक-सूचना-अधिकारी, आई0एस0-II संभाग, गृह मंत्रालय, एनडीसीसी-II भवन, जय सिंह मार्ग, नई दिल्ली।

PBN/0-6/AN/0-1/14
Dt- 01/4/14

ok

अनुलग्नक-I

Details of State-wise allocation of PSs and release of funds

Sl. No.	States	No. of PSs	Funds released (Centre share)				Total
			2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	
1.	Andhra Pradesh	40	2.00	20.00	-	-	22.00
2.	Bihar	85	2.00	44.75	51.625	26.425	124.80
3.	Chhattisgarh	75	2.00	39.25	-	33.95	75.20
4.	Jharkhand	75	2.00	39.25	39.375	16.875	97.50
5.	Madhya Pradesh	12	1.00	5.60	6.30	6.30	19.20
6.	Maharashtra	10	-	5.50	-	-	5.50
7.	Odisha	70	1.00	37.50	43.25	30.25	112.00
8.	Uttar Pradesh	15	-	8.25	-	-	8.25
9.	West Bengal	18	-	9.90	9.45	5.85	25.20
	Total	**400**	**10.00**	**210.00**	**150.00**	**119.65**	**489.65**

पंजीकृत Dy-123/JS(NM)/14
28/4/14

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन
प्रथम अपील/आपत्ति

सेवा में,
श्री एम. ए. गणपति
संयुक्त सचिव (नक्सल विभाग), गृह मन्त्रालय भारत सरकार
कमरा नं. 193-A/1, नॉर्थ ब्लॉक
नई दिल्ली

D:s (ANO)
US (ANO)

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन सही व पूर्ण सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रकरण में गृह मन्त्रालय भारत सरकार, नक्सल प्रबन्धन विभाग के निदेशक एवं के० लो० सू० अ० श्री दलजीत सिंह चौधरी महोदय के पत्र संख्या: 1-11034/23/2014-एन. एम./ए. एन. ओ.-I दिनांक: 28.03.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा मा० प्रधानमन्त्री कार्यालय भारत सरकार कार्यालय प्राधिकारी श्री सैयद इकराम रिज़वी उप सचिव एवं के० लो० सू० अ० के पत्र संख्या: आरटीआई/1496/2014-पीएमआर दिनांक: 11.03.2014 में दिये गये निर्देश के क्रम में आवेदन-पत्र दिनांक: 03 मार्च 2014 के बिन्दु संख्या: 3 और 2 के के संगत अंश के सापेक्ष सूचना उपलब्ध करायी गयी है।

आवेदन पत्र के बिन्दु: 2 के सापेक्ष नक्सल हिंसा में हताहत हुये आम नागरिक व शहीद हुये सुरक्षा बल के कर्मियों का नाम व पता तथा दिये जाने वाले मुआवजा इत्यादि की सूचना नहीं दी गयी जिससे प्रकरण लम्बित है। अवगत कराना यह भी है कि उक्त प्राधिकारी महोदय द्वारा समयावधि के भीतर राज्य सरकारों को आवेदन-पत्र अन्तरित (Transfer) न किये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध कराया जाना उनका स्वतः का दायित्व है।

अतः आप श्रीमान जी से सानुरोध निवेदन है कि प्रकरण के सन्दर्भ में सही व पूर्ण सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने की आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें।

दिनांक: 20 अप्रैल 2014

भवदीय
(हस्ताक्षर)

~~[illegible]~~

(विभूति नारायण दुबे)
ग्राम- संग्रामपुर, पोस्ट- चकिया प्रथम, झारखण्ड, जनपद- सोनभद्र

सूचना से संबंधित

स्पीड पोस्ट

19

सं. I-11034/23/2014-न.एम./एएनओ-I

भारत सरकार

गृह मन्त्रालय

नक्सल प्रबंधन विभाग (नक्सल विरोधी अभियान स्कंध)

कमरा सं. 193-ए/1, नॉर्थ ब्लॉक,

नई दिल्ली, दिनांक 05 मई, 2014

आदेश

यह कि, संदर्भ श्री विभूति नारायण दूबे का प्रथम पुनरावेदन दिनांक 20.04.2014 है जो उनके सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 03.03.2014 के संदर्भ में है। अपने मूल आवेदन के बिन्दु 2 व 3 में दूबे ने नक्सली हिंसा में 1990 से अब तक मारे गए नागरिकों व सुरक्षा बलों की संख्या, उनके नाम व पते तथा उन्हें मिलने वाले मुआवजे का ब्यौरा तथा नक्सल प्रभावित राज्यों को सुरक्षा व्यवस्था के मद में 1990 से अब तक आवंटित की गई धनराशि के बारे में जानकारी मांगी थी जो आंशिक रुप से नक्सल विभाग से संबंधित थी।

2. यह कि, उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर इस मंत्रालय के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों, श्री दलजीत सिंह चौधरी, श्री के. एस. कुशाला कुमार एवं श्री रामबीर सिंह के द्वारा आवेदक को सूचनाएँ उपलब्ध करा दी गई थीं।

3. यह कि, उपरोक्त जवाब से संतुष्ट नहीं होने के कारण पुनरावेदन कर्ता ने सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के धारा 19 के तहत यह प्रथम पुनरावेदन दिया है। आवेदक की आपत्ति है कि नक्सली हिंसा में मारे गए सुरक्षा कर्मियों व नागरिकों का नाम व पता तथा पीड़ितों को दिए जानेवाले मुआवजे की राशि के संबंध में जानकारी नहीं दी गई है। साथ ही राज्य सरकारों को आवेदन अंतरित नहीं किया गया।

4. यह कि, अधोहस्ताक्षरी ने पुनरावेदन पर गहन विचार किया तथा उपलब्ध दस्तावेजों / मिसिलों की पुनः जाँच करवाई तथा यह पाया गया कि नक्सल विभाग में उपलब्ध सूचनाएँ आवेदक को उपलब्ध करा दी गई हैं। पीड़ितों को दिए जानेवाले मुआवजों के लिए उक्त आवेदन श्री आशिश वी. गवई, अवर सचिव (वीटीवी अनुभाग) एवं केंद्रीय लोक-सूचना-अधिकारी, आई0एस0-II संभाग, गृह मंत्रालय को अंतरित कर दिया गया है। अतः सूचना अधिकारियों द्वारा दी गई सूचनाएँ ठीक व पूर्ण है। शेष सूचना की प्राप्ति के लिए, आवेदक को सलाह दी जाती है कि वह संबंधित राज्य सरकारों एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के मुख्यालय से संपर्क करें।

5. अतः आपके प्रथम पुनरावेदन का निस्तारण किया जाता है।

6. इस निर्णय के विरुद्ध द्वितीय पुनरावेदन (2nd Appeal) सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 19(3) के तहत इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अन्तर्गत केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष की जा सकती है।

(एम. ए. गणपति)

संयुक्त सचिव (नक्सल प्रबंधन विभाग)

एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

दूरभाष 2309 2456

श्री विभूति नारायण दूबे,

ग्राम - संसारपुर, पो0 - चकसुन्दरपुर जानपुर,

जनपद सन्त रविदास नगर, भदोही,

उत्तर प्रदेश - 221304।

O/C

P.B. No 09/ANO-I/14

07.05.14